बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 11-01-25

संoसंo–17/विविध–01–207/2024 41(17) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एवं (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानो के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालो में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदो पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:–

[P.S.M.-DEGREE]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000439	RAFAT PERVEEN	UR	UR	14-01-1988	F	BHS	PMCH Patna
2	9240000566	MUKESH KUMAR	UR	UR	25-01-1984	M	BHS	NMCH Patna
3	9240000440	RANI KUMARI	BC	UR	05-02-1986	F	BHS	BMIMS Pawapuri, Nalanda
4	9240000332	AMEET KUMAR	EB	UR	01-03-1988	M	BHS	NMCH Patna
5	9240000452	SHAAN AHMED	UR	UR	08-02-1989	M	BHS	NMCH Patna
6	9240000333	RAM BABU PRASAD	SC	UR	09-01-1978	M	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
7	9240000461	RAVI PRAKASH	UR	UR	01-03-1984	M	N	NMCH Patna
8	9240000495	MANISH KUMAR JHA	UR	UR	25-09-1984	M	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
9	9240000619	SHWETA SHALINI	BC	UR	27-10-1992	F	N	PMCH Patna
10	9240000539	ABHISHEK	EB	UR	17-12-1993	M	BHS	PMCH Patna
11	9240000376	SEEMA SINGH	UR	UR	26-03-1985	F	BHS	NMCH Patna
12	9240000426	RASHMI PRIYA	UR	UR	02-12-1989	F	N	DMCH, Darbhanga
13	9240000309	RACHNA RANI	EB	UR	21-03-1990	F	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
14	9240000378	AFSHAN	EB	UR	10-01-1994	F	N	PMCH Patna
15	9240000590	TRINETRI KUMARI	BC	UR	20-12-1984	F	BHS	BMIMS Pawapuri, Nalanda
16	9240000396	NIDHI SHARMA	EB	UR	14-01-1996	F	BHS	ANMMCH, Gaya
17	9240000320	GULSHAN IMROZ	EB	UR	03-12-1991	F	BHS	ANMMCH, Gaya
18	9240000319	TANISHA CHOUDHARY	UR	UR	02-01-1993	F	BHS	GMC Purnea
19	9240000585	RAMESH KUMAR	BC	UR	26-01-1984	M	N	GMC Bettiah
20	9240000448	MOHAMMAD AMBER	EB	EWS	05-01-1989	M	BHS	DMCH, Darbhanga
21	9240000509	ANANTA VERMA	UR	UR	03-02-1989	F	N	JLNMCH, Bhagalpur
22	9240000484	RAUNAQUE JABEEN	UR	EWS	15-02-1991	F	N	DMCH, Darbhanga
23	9240000318	ANKITA	UR	EWS	08-08-1992	F	N	JLNMCH, Bhagalpur

11/01/2025

24	9240000602	RAJEEV KUMAR RANJAN	SC	EWS	10-02-1985	M	BHS	GMC Bettiah
25	9240000672	PARINITA BHARTI	UR	UR	01-02-1990	F	N	JNKTMCH Madhepura

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
3. EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम–11 के अन्तर्गत किया गया है।
4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदो पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदो पर पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियॉ नियमानुसार की जायेगी।
6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सको को छोडकर अन्य सभी बाह्य चिकित्सको को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एव अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एव कटौतियॉ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11.01.2024 मे दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरात स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रो की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगें।
9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त सस्थान के अन्य विभाग मे सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हो तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग मे समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–207/2024 – 41(17) पटना/दिनांक– 11-01-25

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के सबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — सभी सबधित सीनियर रेजिडेट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

41(17)
11-01-25

Sd/- 11/01/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।